



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 21.12.24

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 216/23 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 216/23 धारा 363 भादवि से सम्बन्धित अपहृता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बीनू पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम बोढा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 रविन्द्र सैनी थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2- म.है.का.461 उमेश थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- है.का.586 लोकेश भाटी थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-21.12.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 322/2024 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस व मु0अ0सं0 312/24 धारा 305(A) बीएनएस में वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये गये 2400 रूपये नगद बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

1.दिनांक 12.11.2024 को थाना दोघट पर वादी प्रवेन्द्र पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 09.11.2024 को अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवैल से 03 मीटर केबिल व कटआउट व 1.अशोक पुत्र रगवीर की ट्यूबवैल से 04 मीटर केबिल 2.जयपाल पुत्र अमन सिंह की ट्यूबवैल से 2.5 मीटर केबिल 3.जोगेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह की ट्यूबवैल से 03 मीटर केबिल 4.वीजेन्द्र पुत्र वुद्ध सिंह के ट्यूबवैल से 03 मीटर केबिल काटकर चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



2.दिनांक 28.11.2024 को थाना दोघट पर वादी देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह निवासी पट्टी धीमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 27.11.2024 की रात्रि में अभियुक्तगण 1.सचिन उर्फ डेन्जर पुत्र कर्मबीर निवासी कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा वादी के मकान

का ताला तोडकर अलमारी से 21000 रूपये व एक कीमती सोने की अंगूठी व अन्य सामान चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0स0 322/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0स0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस व मु0अ0सं0 322/2024 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए 2400 रूपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

।

**नोट-** मु0अ0सं0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस में दिनांक 12.11.2024 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से ट्यूबवैलों से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया था।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सचिन उर्फ डेन्जर पुत्र कर्मबीर निवासी करबा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत।

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 127/15 धारा 302/201 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
- 2-मु0अ0स0 413/15 धारा 393/406 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-मु0अ0स0 213/17 धारा 380/411/457 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत।
- 4-मु0अ0स0 350/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
- 5-मु0अ0स0 83/18 धारा 323/406/420/504 भादवि व 3(1)(घ) एससी एसटी एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
- 6-मु0अ0स0 708/22 धारा 223/224 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
- 7-मु0अ0स0 710/22 धारा 307 भादवि थाना बागपत जनपद बागपत।
- 8-मु0अ0स0 711/22 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना बागपत जनपद बागपत।
- 9-मु0अ0स0 248/24 धारा 305(A) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत।
- 10-मु0अ0स0 312/24 धारा 305(A)/317(2) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत।
- 11-मु0अ0स0 322/24 धारा 331(4),305(ए) बीएनएस थाना दोघट जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण

- चोरी किये गये 2400 रूपये नगद।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का० 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.12.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1043/24 धारा 115(2)/352/351(2)/121/132 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.12.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी हो०गा० प्रताप सिंह पुत्र श्री मांगेराम निवासी ग्राम बिचपडी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत वर्तमान तैनाती यातायात पुलिस बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1-मोहन पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत व 2.एक महिला द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं०

1043/24 धारा 115(2)/352/351(2)/121/132 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 1043/24 धारा 115(2)/352/351(2)/121/132 बीएनएस में से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहन पुत्र रंजीत सिंह निवासी ग्राम निवाली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है०का० 422 राजन थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का० 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 21.12.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 992/2024 धारा 296/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/131/109/118(1)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.11.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी जोगेन्द्र पुत्र रूपचन्द निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण- 1-साहिल पुत्र लीलू, 2-दीपू पुत्र लीलू, 3-लालू पुत्र मनोज, 4-प्रिन्स पुत्र इन्द्र, 5-अंश पुत्र देवेन्द्र, 6-अभिषेक पुत्र देवेन्द्र द्वारा ग्राम बाघू की महिलाओं पर अश्लील इशारे करना विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देना । पुनः उपरोक्त अभियुक्तगण व 7-बन्टी



पुत्र लीलू, 8-बल्ली पुत्र अभय एवं 10-15 अज्ञात द्वारा हाथों में लोहे के पाइप, रॉड, धारदार हथियार, पंच, पिस्टल लेकर आवेदक व उसके पुत्र विपिन, अंकित, आदित्य पुत्र मुकेश शर्मा, अश्वनी शर्मा पुत्र योगेश पर हमला कर मारपीट की एवं बारात पर पथराव किया तथा जान से मारने की नियत से सिर पर धारदार हथियार से हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और अंकित का मोबाइल उठाकर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 992/2024 धारा

296/352/351(2)/191(2)/191(3)/190/131/109/118(1)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 992/2024 धारा 296/352/351(2)/191(2)/191(3) /190/131/ 109/118(1)/324(4) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र लीलू उर्फ नरेन्द्र भाटी निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री मंजीत सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-है०का० 264 वेदपाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 21.12.2024

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 215/24 धारा 85/115(2)/352/82(2) BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 18.09.24 को थाना बिनौली पर वादी राजबीर सिंह पुत्र दीपचन्द निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आजाद पुत्र पूरन (पति), 2.पूरन सिंह पुत्र लाल सिंह (ससुर), 3.सास 4.अतुल पुत्र पूरन सिंह (जेठ) व 5.जेठानी समस्त



निवासीगण बी- 933 ब्लाक- बी शाहबाद डेरी नार्थ वैस्ट दिल्ली द्वारा वादी की पुत्री के साथ दहेज के लिये प्रताडित की, गाली-गलौच करते हुए मारपीट की व अतिरिक्त दहेज में गाडी की मांग की । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 215/24 धारा 85/115(2)/352 BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 215/24 धारा 85/115(2)/352/82(2) BNS व 3/4 दहेज प्रतिषेध

अधिनियम में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

आजाद पुत्र पूरन सिंह निवासी बी933 ब्लॉक बी शाहबाद डेरी नोर्थ वेस्ट दिल्ली  
हाल पता बी12/62 व 12/63 शाहबाद डेरी दिल्ली ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-म0उ0नि0 शीलेश चौधरी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 513 मुनेन्द्र भाटी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 259 अशोक कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

